न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 04/2020

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

श्री नवा पुत्र पुनमा जी, जाति– मेघवाल, निवासी– डोडुआ, तहसील व जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1.पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

2.अधिवक्ता श्री हुनर सिंह देवड़ा, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 30 अक्टूम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1794 दिनांक 22.9.2020 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम डोडुआ के वर्तमान खाता संख्या 672 खसरा संख्या 437 रकबा 0.2800 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 314/1 रकबा 1.15 बीघा है) भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर श्री नवा पुत्र पुनमा, जाति– मेघवाल, निवासी– डोडुआ को हुआ था। यह कि खसरा गिरादावरी संवत 2047–2062 के अनुसार आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नही की गई है एवं न ही कब्जा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आवंटिती का संवत 2047 से 2062 तक उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हुनर सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री नवा पुत्र पुनमा जी, जाति– मेघवाल, निवासी– डोडुआ को कृषि प्रयोजनार्थ, ग्राम डोडुआ के पुराने खसरा संख्या 314/1 रकबा 1.15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि के वर्तमान खाता संख्या 672 खसरा संख्या 437 रकबा 0.2800 हेक्टेयर किस्म नहरी–द्वितीय है। यह कि खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2062 तक के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा–काश्त नही रहा है। आवंटन के तीन वर्षो में काश्त नही की गई है। आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम डोडुआ के वर्तमान खाता संख्या 672 खसरा संख्या 437 रकबा 0.2800 हेक्टेयर किस्म नहरी भूमि का आवंटन हुआ था जो अप्रार्थी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि का पुराना खसरा संख्या [illegible] रकबा 1.15 बीघा है। खसरा गिरदावरी में राजस्व अधिकारी पटवारी द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:29 IST
Reason: SelfAttested

पेश की है उसमें उक्त भूमि पर कृषि कार्य करना होना नही बताया है, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी ने समय समय पर काश्त की है। अप्रार्थी की काश्त को राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती से दर्ज नही किया है तथा कभी कभार अकाल पडने से अप्रार्थी द्वारा खेती नही करने से गिरदवारी में दर्ज नही हुआ है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है एवं आवंटन की तारीख से हर वर्ष खेती करता आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नही किया है। राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों ने पडौसी खातेदारों से मेल मिलाप कर मनगंढत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त RRT 2007(2) Page 1433-1437 एवं विधिक दृष्टान्त RRT 2007(2) Page 1443-1447 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1986 में हुआ था एवं आवंटन होने के करीब 38 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही है। अप्रार्थी ने काफी रकम खर्च कर भूमि को कृषि योग्य व उपजाउ बनाया है। अप्रार्थी भूमिहीन व अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर भूमि का आवंटन हुआ है। आवंटन में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नही हुई है। ऐसी स्थिति में, इतने वर्षो के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उप जिला विकास अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी), सिरोही के आदेश क्रमांक/राजस्व/अभियान/आवंटन/86/691—92 दिनांक 19.6.1986 के द्वारा श्री नवा पुत्र पुनमा जी, जाति— मेघवाल, निवासी— डोडुआ को ग्राम डोडुआ, तहसील— सिरोही के पुराने खसरा संख्या 314/1 रकबा 1.15 बीघा (जिसके वर्तमान खाता संख्या 672 खसरा संख्या 437 रकबा 0.2800 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 है) का आवंटन किया गया था। जिस पर नामान्तरकरण संख्या 665 दिनांक 27.3.1987 से उक्त आवंटित भूमि आवंटिती श्री नवा पुत्र पुनमा जी, जाति—मेघवाल, निवासी— डोडुआ के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। पत्रावली पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071—2074 में उक्त भूमि अप्रार्थी नवा पुत्र पुनमा जी, जाति— मेघवाल, निवासी— डोडुआ के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का यह कथन है कि खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2062 तक के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा संवत 2047 से 2062 तक कब्जा—काश्त नही रहा है।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी का संवत 2047—2062 तक कब्जा काश्त नही रहा है। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, पाडीव की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 17.9.2020 के अनुसार भूमि मौके पर पडत है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2062 की सत्य प्रतिलिपि के अनुसार संवत 2047 से 2062 में उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है। अप्रार्थी ने जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में काश्त की गई हो। अप्रार्थी द्वारा ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी

...पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त हो। जबकि खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2062 तक के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा–काश्त नही रहा है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर श्री नवा पुत्र पुनमा जी, जाति– मेघवाल, निवासी– डोडुआ को ग्राम डोडुआ, तहसील– सिरोही के पुराने खसरा संख्या 314/1 रकबा 1.15 बीघा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 437 रकबा 0.2800 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 है) भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30 अक्टूम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:29 IST
Reason: SelfAttested